

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dibrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/फेज-2/18/48561-49106

दिनांक: 12/06/18

वीडियो कॉन्फ्रेंस सूचना

दिनांक 22.06.2018 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन द्वारा समस्त जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त के साथ मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस एनआईसी, मुख्य भवन, शासन सचिवालय में आयोजित की जायेगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलक्टर के साथ जिला स्तरीय अधिकारी यथा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भू-जल विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग आदि उपस्थित रहेंगे। अतः कृपया समस्त नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी मय संबंधित अभियंता नियत समय पर संबंधित जिला कलक्टर के साथ अपनी प्रगति रिपोर्ट लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेना सुनिश्चित करें।

इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जायेगी:

1. द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु योजना।
2. नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा प्रथम चरण में शामिल कार्यों के किये गये निरीक्षणों की अनुपालना रिपोर्ट की प्रगति।
3. प्रथम चरण के अंतर्गत किये गये कार्यों के ^{अद्यतन} उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति।
4. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/फेज-2/18/48561-49106

दिनांक:- 12/06/18

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीयमंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा0 अभि0 एवं भू-जल विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, DoIT & C, जयपुर।
9. निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, राजस्थान।
11. संभागीय आयुक्त, समस्त।
12. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
13. Head of Forest Force (HoFF) अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
14. जिला कलक्टर, समस्त।
15. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
16. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
17. प्रोग्रामर,आईटी प्रकोष्ठ, निदेशालय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
18. CMAR, निदेशालय।
19. सुरक्षित पत्रावली।

(ओ. पी. वर्मा)

अधीक्षण अभियंता